न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 41/2019 निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

उनवानी दावा :

1. मोती पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रणजीत पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लालसिंह पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अपीलांटस–

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. केसर सिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. शिवराज सिंह पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. दुर्गालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. ~~दयाला पुत्र भीवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)~~

5/1 ग्यारसी पत्नी दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/2 महेन्द्र पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/3 कप्तान पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/4 रेखा पुत्री दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6. गेगराज पुत्र भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. बाबू पुत्र भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. पांची पुत्री भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. बदाम पुत्री भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

11. टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैक शाखा देवली जिला टोंक जरिए शाखा प्रबंधक
– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
5/1 ता 5/4 व 6 ता 9

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक ने न्यायालय हाजा के निर्णय व डिकी दिनांक 15.07.2015 को अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में मृतक दयाला के वासिान को विधिवत रूप से रिकॉर्ड पर लिया जावे, तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण स्व0 जगदेवा पुत्र देवबख्श के वारिसान है। भूमि साबिक ख0नं0 1642 गै0मु0 चाह रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम सांवतगढ जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 में खातेदार जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मणा 1/2 हिस्सा व भीवां पुत्र भागुता हिस्सा 1/4 एवं जगदेवा पुत्र देवबक्श हिस्सा 1/4 दर्ज था, किन्तु जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में राजू, फत्ता, दयाला, पुत्रभागुता हिस्सा 1/2, भीवां पुत्र भागुता हिस्सा 1/4 व खाना पुत्र जगदेवा हिस्सा 1/4 के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया, जबकि भीवां पुत्र भागुता का हिस्सा 1/2 व खाना पुत्र जगदेवा का हिस्सा 1/2 अंकित होना चाहिए था, क्योंकि जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मणा लाऔलाद मर चुका था, इस कारण उसका 1/2 हिस्सा भीवां पुत्र भागुता व 1/2 हिस्सा जगदेवा पुत्र देवबक्श के नाम अंकित करना चाहिए था, लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन कर दिए जाने के कारण एक दावा बाबत् घोषणा व खातेदारी का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर यह याचना चाही गई कि हाल ख0नं0 1124 रकबा 0.14 है0 गै0मु0 चाह में अपीलांटस व रेस्पों0 सं0 13 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त साबिक ख0नं0 1642 के सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 1770 रकबा 0.14 है0 बना दिए गए थे, किन्तु ग्राम दातां सांवतगढ से टूटकर नया राजस्व गांव बन जाने के कारण उक्त भूमि के नये नं0 1124 रकबा 0.14 है0 ग्राम दातां बना दिए गए है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को ग्राम सांवतगढ में लगे राजस्व कैम्प में उक्त प्रकरण में गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया गया, जो वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, बल्कि कैम्प में अकेले रेस्पों0 सं0 13

Dl. Rq

के ही हस्ताक्षर करवाकर उक्त निर्णय पारित कर दिया गया, प्रार्थी/वादी मोती लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दयाला के वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत् प्रस्तुत किया था लेकिन उस पर किसी प्रकार से कोई निर्णय पारित नहीं किया गया, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दयाला के वारिसान में से केवल महेन्द्र व कप्तान के हस्ताक्षर करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0 7 से 9 व 11 की तामिल भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया। अपीलांटस रेस्पों0 सं0 13 के साथ उक्त विवादित गै0मु0 चाह में 1/2 हिस्से पर काबिज खातेदार है, रेस्पों0 ने मिली भगत कर उक्त निर्णय पारित करवाया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से वादीगण ने एक अपील माननीय न्यायालय आर.ए.ए टोंक में पेश की, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वाद दर्ज किया गण।

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 मोती पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ(दांता) तहसील देवली, पी. डब्ल्यू–2 धर्मसिंह मीणा पुत्र मोतीलाल जाति मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी दांता तहसील देवली जिला टोंक पी. डब्ल्यू–3 राधाकिशन पुत्र नेहनू राम जाति मीणा उम्र 71 वर्ष निवासी सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक का पेश किये। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से 3 ने वाद के तथ्यो को ही अपने शपथ पत्र में पेश किये है।

पी. डब्ल्यू–1 मोती पुत्र खाना जाति मीणा आयु साल निवासी सांवतगढ(दांता) तहसील देवली ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2065–68,, प्रदर्श–3 नामान्तकरण पंजिका ग्राम सांवतगढ प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2022–29 प्रदर्श–5 सम्वत 2033–36, प्रदर्श–6 जमाबन्दी समवत 2012–15 प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल 2069–72 प्रदर्श–10 सम्वत 2046–65 प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2014–17 हाल जमाबन्दी पेश किये है।

साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जगदेवा का पुत्र खाना था जिसके तीन चार पुत्र मोहन (लाओलाद मृतक), मोती, रणजीत, लालसिंह हुए। साबिका ख. नं. 1642 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम सांवतगढ में थी जिसमें खातेदारी जगन्नाथ पुत्र लिछमना का हिस्सा 1/2 भीवा पुत्र भागुता का 1/4 हिस्सा व जगदेवा पुत्र देवबख्श का हिस्सा 1/4 था। जगन्नाथ ला औलाद फोत हुआ था जिससे उसका हिस्सा भीवा व जगदेवा के बराबर बराबर आना चाहिए अर्थात भीवा व जगदेवा के 1/2—1/2 हिस्सा होना चाहिए था परन्तु सम्वत 2022—25 की जमाबन्दी में राजू, फता, दयाला पुत्र भागुता का हिस्सा 1/2, भीवा पुत्र भागूता हिस्सा 1/4 व खाना पुत्र जगदेवा के 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जो पूर्णतया गलत था। जबकि इनका हिस्सा 1/2—1/2 होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 भीवा के वारिसान है और दयाला भी भीवा का पुत्र है परन्तु जमाबन्दी में दयाला को अलग से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साथ हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया जो गलत है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का उक्त गै. मु. चाह से कोई लेना देना नहीं है। सेटलमेन्ट को जांच कर पुरानी प्रविष्टी को ही दोहराना था और उसी अनुसार वादीगण के नाम अंकन होना चाहिए था परन्तु सेटलमेन्ट ने वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा का अंकन नही कर 1/4 हिस्से का अंकन कर दिया जिसका सेटलमेंन्ट को कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस कारण से वाद न्यायालय में पेश किया परन्तु 2015 में राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रतिवादीगण ने बिना सबकी सहमति से वाद को गलत रूप से डिक्री करवा लिया जिसके कारण वादीगण को माननीय न्यायालय आर.ए.ए टोंक में अपील करनी पड़ी। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद वादीपक्ष डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी के बहस व वाद मिमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श—8 जमाबन्दी सम्वत 2014—17 में वाद वर्णित साबिका ख. नं. 1642 गै. मु. चाह में जगन्नाथ पुत्र लछिमना कोम मीना हिस्सा 1/2, भीवा पुत्र भागुता हि0 1/4 व जगदेवा पुत्र देवबख्श का हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श—3 नामान्तकरण पंजिका ग्राम सांवतगढ में जगन्नाथ के फोत होने के बाद उसको लाओलाद बताया है जिसके बाद उसका नामान्तकरण उसके वारिसों के नाम खोला गया जिसमें राजू, फता, दयाला पुत्र भागुता हि0 1/2 काना पुत्र जगदेवा हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण खोला गया। प्रदर्श—4 जमाबन्दी सम्वत 2022—25 में साबिका ख. नं. 1642 गै. मु. चाह में राजू, फता, दयाला पुत्र भागूता हि0 1/2 व भीवा पुत्र भागुता हि0 1/4 व खाना पुत्र जगदेवा हिस्सा 1/4 का अंकन है। प्रदर्श—4 में भीवा का अलग से नाम डाल दिया गया और उसका हिस्सा 1/4 दर्शित कर दिया जबकि भीवा भी भागूता का ही पुत्र है। प्रदर्श—2 व प्रदर्श—1 में भागुता, भीवा व खाना के फोत होने के बाद उनके वारिसान का हिस्सा प्रदर्श—4 के अनुसार ही क्रमानुगत चला आ रहा है। हाल जमाबन्दी सम्वत 2073—76 में वादीगण के पिता

खाना का 1/4 हिस्से अनुसार वर्तमान में 1/12 हिस्सा प्रत्येक वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श—10 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046—65 के अनुसार साबिक ख. नं. 1642 व 1643 मी. 2 बिसवा से ख. नं. 1770 रकवा 0.14 है0 व प्रदर्श—9 मिलान क्षेत्रफल 2069—72 के अनुसार ख. नं. 1770 से हाल ख. नं. 1124 रकवा 0.14 है0 बने है। उक्त दस्तावेजात व साक्ष्यो का विवेचन करने पर स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता खाना खाना के चार पुत्रो में से एक पुत्र लाओलाद फौत हो गया जिसके हिस्से के हकदार कानूनन वादीगण ही है। सेटलमेन्ट अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये वादीगण के पिता खाना के नाम 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्से का अंकन कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना विधिसम्मत है। राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 15.07.2015 के निर्णय अवलोकन पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं होने से निर्णय को दुरूस्त किया जाना न्यायासंगत प्रतीत होता है। वादीगण ने साक्ष्य व सबूत के माध्यम से वाद को बखूबी साबित किया है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 153 के ख. नं. 1124 रकबा 0.14 है0 गै0 मु0 चाह में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्से स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

1. मोती पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रणजीत पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लालसिंह पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अपीलांटस–

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. केसर सिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. शिवराज सिंह पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. दुर्गालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. ~~दयाला पुत्र भीवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)~~

5/1 ग्यारसी पत्नी दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/2 महेन्द्र पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/3 कप्तान पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

5/4 रेखा पुत्री दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

6. गेगराज पुत्र भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. बाबू पुत्र भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. पांची पुत्री भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

क्रि.२५

9. बदाम पुत्री भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)
11. टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैक शाखा देवली जिला टोंक जरिए शाखा प्रबंधक

– प्रतिवादीगण–

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 41 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 5/1 ता 5/4 व 6 ता 11 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 153 के ख. नं. 1124 रकबा 0.14 है0 गै0 मु0 चाह में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्से स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 04 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

1/2019 उनवान मोती आदि बनाम नारायण वगै.

क.–12.04.2022

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए